रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072023-247464
CG-DL-E-19072023-247464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3107] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2023/आषाढ़ 28, 1945
No. 3107] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2023/ASHADHA 28, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2023

का.आ. 3240(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

1. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) की अनुसूची 4 में,-

(क) "किण्वित जैविक खाद" से संबंधित क्रम संख्या 9 में,-

(i) प्रविष्टि (iv) में "<20" अंकों के स्थान पर "30 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) प्रविष्टि (vi) में “6.5-8.0" अंकों के स्थान पर "6.5-8.4" अंक रखे जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 9 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“टिप्पण:-प्रत्येक विनिर्माता बैगों पर स्पष्ट रूप से यह अंकित करेगा कि खेत में फसल की बुआई से 15 से 25 दिन पहले किण्वित जैविक खाद डाली जाएगी।“

(ख) "तरल किण्वित जैविक खाद" से संबंधित क्रम संख्या 10 में,-

(i) प्रविष्टि (iv) में "<20" अंकों के स्थान पर "30 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे'

(ii) प्रविष्टि (v) में "6.5-8.0" अंकों के स्थान पर "6.5-8.4" अंक रखे जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 10 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"टिप्पण:-प्रत्येक विनिर्माता पात्र पर स्पष्ट रूप से यह अंकित करेगा कि खेत में फसल की बुआई से 15 से 25 दिन पहले तरल किण्वित जैविक खाद डाली जाएगी।"

[फा. सं. 2-2/2023 उर्वरक विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि 758(अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्याक का.आ. 2345(अ), तारीख 29 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 19th July, 2023

S.O. 3240(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, namely:-

1. This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Sixth) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

1. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in Schedule IV,-

(a) inserial number 9 relating to "Fermented Organic Manure",-

(i) in entry (iv), for the figures "<20", the figures and words "upto 30" shall be substituted;

(ii) in entry (vi), for the figures "6.5-8.0", the figures "6.5-8.4" shall be substituted;

(iii) after serial number 9, the following Note shall be inserted , namely:-

"Note:- Every manufacturer shall categorically indicate on bags that Fermented Organic Manure shall be added 15-25 days prior to sowing of crop in the field.'

(b) in serial number 10 relating to "Liquid Fermented Organic Manure";-

(i) in entry (iv), for the figures "<20" , the figures and words "upto 30" shall be substituted;

(ii) in entry (v), for the figures "6.5-8.0", the figures "6.5-8.4" shall be substituted;

(iii) after serial number 10, the following Note shall be inserted , namely:-

"Note;-Every manufacturer shall categorically indicate on container that Liquid Fermented Organic Manure shall be added 15-25 days prior to sowing of crop in the field"

[F. No. 2-2/2023Fert Law]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification G.S.R. No.758 (E) dated 25th September,1985 and was last amended *vide* notification number S.O. 2345(E) dated 29th May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.19 21:46:28 +05'30'